तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	अपील/एल आर/2895/2005/चित्तौडगढ **नगरपालिका चित्तौडगढ बनाम राधेश्याम व सरकार**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी। (2) विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश **निर्णय दिनांक :** यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 27–4–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलेक्टर चित्तौडगढ ने आदेश दिनांक 10–3–04 से तहसीलदार गंगरार के प्रतिवेदन पर ग्राम चन्देरिया तहसील गंगरार में स्थित भूमि खसरा नम्बर 107/2 रकबा 0–97 हेक्टर किस्म राजकीय बिला नाम बंजड में से 22इन टू 40 वर्गमीटर का भूखण्ड नगर पालिका चित्तौडगढ को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू राजस्व(विद्यालयों, महाविद्यालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य जनोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु) राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1963 के अन्तर्गत99 वर्ष की लीज पर आवंटन कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–4–05से अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 10–3–04को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक उपयोग के लिये नगर पालिका को आवंटन के लिये नियम 1963 के नियम 4 में 5/16 एकड से ज्यादा भूमि आवंटित की जाती है तो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/2895/2005/चित्तौडगढ** **नगरपालिका चित्तौडगढ बनाम राधेश्याम व सरकार**	नम्बर व तारीख

सम्भागीय आयुक्त की इजाजत की आवश्यकता रहती है। नगर पालिका को सामुदायिक भवन के लिये सिर्फ 22 इन टू 40 वर्गमीटर भूमि का ही आवंटन किया गया है जो 5/16हेक्टर से बहुत कम है। इसके लिये कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी हैं। किसी भी सूरत में राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने नियमों को ठीक ढंग से समझे बिना जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है और अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना गया है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।

5– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलेक्टर चित्तौडगढ ने आदेश दिनांक 10–3–04 से तहसीलदार गंगरार के प्रतिवेदन पर ग्राम चन्देरिया तहसील गंगरार में स्थित भूमि खसरा नम्बर 107/2 रकबा 0–97 हेक्टर किस्म राजकीय बिला नाम बंजड में से 22इन टू 40 वर्गमीटर का भूखण्ड नगर पालिका चित्तौडगढ को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू राजस्व(विद्यालयों, महाविद्यालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य जनोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु) राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1963 के अन्तर्गत99 वर्ष की लीज पर आवंटन किया गया है।विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने आवंटन इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रथम इस तरह के भवनों के आवंटन के लिये राज्य सरकार सक्षम है,जिला कलेक्टर सक्षम नहीं है, द्वितीय अपीलार्थी के पिता का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है, इसलिये वह प्रभावित पक्षकार है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निकाले गये दोनों निष्कर्ष विधि विरूद्ध हैं। जहां तक इस प्रकार के सार्वजनिक भवनों हेतु भूमि आवंटन करने का प्रश्न है ऐसे मामलों में लोकोपयोगी भवन हेतु एक एकड तक भूमि जिला कलेक्टर आवंटन कर सकता है। जहां भूमि चारागाह के रूप में अभिलिखित है उसका आवंटन किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/2895/2005/चित्तौडगढ** **नगरपालिका चित्तौडगढ बनाम राधेश्याम व सरकार**	नम्बर व तारीख

जाना हो तो वहां पर पंचायत से परामर्श की प्रक्रिया का अनुसरण कर आवंटन किया जावेगा। इसके अलावा ऐसी भूमि जो किसी स्त्रोत से सिंचित की जाती है या किसी लोकपथ, चारागाह,ओरन, गैर मुमकिन पहाड के रूप में अभिलिखित की गई है उसे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आवंटन नहीं किया जावेगा। इस प्रकरण में नगरपालिका को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि बिला नाम बंजड है जिसके लिये जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी है और राज्य सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थी का कब्जा होने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी की हैसियत एक अतिक्रमी की है उसका आवंटित भूमि पर कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है। अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना गया है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ का निर्णय दिनांक 27-4-05 निरस्त किया जाता है एवं जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 10-3-04 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य